## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदेन सहायक कलक्टर हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

## : : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – झंवर लाल, (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :–55 / 2025

उनवान

1. कंकू देवी पत्नी श्री नारायण लाल जाति रेगर नि0 देवली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)

........ वादीगण

बनाम

1. दुर्गा लीाल पुत्र श्री रामचन्द्र बलाई नि0 देवली तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)
2. केशी पत्नी स्व0 श्री रामचन्द्र बलाई नि0 देवली तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)
3. भोनी पुत्र श्री रामचन्द्र बलाई नि0 देवली तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)
4. रतनी पुत्री रामचन्द्र बलाई नि0 देवली तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, हमीरगढ़ जिला भीलवाडा (राज०)

..... प्रतिवादीगण

**वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् कब्जा दिलाये जाने हेतु**

उपस्थित :::–

अधिवक्ता वादीगण –श्री पृथ्वीराज चोधरी उप0

प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 अनु0

राज्य पक्ष की ओर से पेरोकार सरकार

दिनांक 07–05–2026

वादीगण की ओर से श्री पृथ्वीराज चोधरी ,एडवोकेट और प्रतिवादी सं. 01 से 04 अनु0 राज्य पक्ष की ओर से पेरोकार सरकार की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 07–05–2026 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि ––और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि –– को दी जायें।

वाद–पत्र डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत किया गया राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत कब्जा दिलाये जाने हेतु स्वीकार किया जाकर ग्राम देवली पटवार हल्का देवली भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बरडोद तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) मे आराजी नम्बर 539 रकबा 0.4299 है0 पर प्रतिवादी संख्या 01 से 04 का पूर्वी मेड के सहारे (87.5X10)मीटर अथवा 0.0875 है0 भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है उससे

उसे बेदखल किया जाकर इस भूमि का कब्जा पुनः वादी को दिलाया जाने बाबत् बेदखली आराजियात की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जाती है ।

तहसीलदार हमीरगढ डिक्री अनुसार वादी को उक्त भूमि का कब्जा प्रतिवादी सं. 01 से 04 से दिलाया जाना सुनिश्चित करे। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे ।

आज यह अन्तिम डिक्री दिनांक 07–05–2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी गयी।

(झंवर लाल, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर हमीरगढ
जिला भीलवाड़ा (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदेन सहायक कलक्टर हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज.)
पीठासीन अधिकारी – झंवर लाल (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :–55/2025

## उनवान

1. कंकू देवी पत्नी श्री नारायण लाल जाति रेगर नि0 देवली तह0 हमीरगढ़ जिला भीलवाडा(राज0)

....... वादीगण

बनाम

1. दुर्गा लीाल पुत्र श्री रामचन्द्र बलाई नि0 देवली तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)
2. केशी पत्नी स्व0 श्री रामचन्द्र बलाई नि0 देवली तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)
3. भोनी पुत्र श्री रामचन्द्र बलाई नि0 देवली तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)
4. रतनी पुत्री रामचन्द्र बलाई नि0 देवली तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, हमीरगढ़ जिला भीलवाडा (राज०)

..... प्रतिवादीगण

**वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् कब्जा दिलाये जाने हेतु**

उपस्थित :::–

अधिवक्ता वादीगण –श्री पृथ्वीराज चोधरी उप0

प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 अनु0

राज्य पक्ष की ओर से पेरोकार सरकार

## –:: निर्णय ::–

दिनांक 07.05.2026

सक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि यह है कि यह है कि सरहद देवली पटवार हल्का देवली तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) के खाता संख्या 602 आराजी नम्बर 539 रकबा 0.4299 हैक्टयर भूमि जो कि राजस्व रेकार्ड मे वादीया के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज चली आ रही है। यह है कि वादीया वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजी पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करती चली आ रही है तथा वादीया ने उक्त आराजीयात की पत्थरगढी कराने हेतु एक प्रार्थनापत्र न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, हमीरगढ़ जिला भीलदाड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 156/2024 राजस्व प्रार्थनापत्र कायम हुए, जिसका निर्णय दिनांक 02 जनवरी 2025 को हुआ, जिसकी जानकारी प्रतिवादीगण को होने पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 द्वारा माह मार्च 2025 आराजी नम्बर 539 रकबा 0.4299 हेक्टयर की पूर्वी मेड के सहारे 87.5 बाई 10

कुल 0.0875 हैक्टयर भूमि पर कब्जा कर लिया, जिससे दिनांक 05 जून 2025 को उक्त आराजीयात पत्थरगढी गिरदावर व पटवार हल्का द्वारा मौका निरीक्षण कर की गयी, जिसमे आराजी नम्बर 539 पांच सौ उनचालीस रकबा 0.4299 हैक्टयर पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 चार का अवैध कब्जा कब्जा पाया गया। वादीया की आराजीयात से प्रतिवादीगण का कोई हक अधिकार नही है। यह है कि वादीया ने प्रतिवादीगण को कई बार पादपत्र की चरण संख्या 01 एक में वर्णित आराजी नम्बर 539 रकबा 0.4299 हैक्टयर में से 0.0875 हैक्टयर पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये अवैध कब्जे को छोडने हेतु कहा लेकिन प्रतिवादीगण ने कोई ध्यान नहीं दिया व अन्तिम बार वादी ने दिनांक 20 अगस्त 2025 को उनके द्वारा। भूमि पर किये गये कब्जे को छोड़कर, उक्त भूमि का कब्जा वादीया को सुपुर्द करने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण वादीया के साथ लडाई झगडा करने पर आमादा हो गये तथा प्रतिवादीगण ने वादी को धमकी दी कि वादी की मर्जी आये जो कर लेना प्रतिवादीगण उक्त आराजीयात से कब्जा नही छोडेगे तथा वादीया प्रतिवादीगण का कुछ नही बिगाड सकता है। इस कारण से वादीया को यह वादपत्र पेश करने की नौबत पेश आयी है। वादीया के पक्ष मे एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की कब्जेयावी की डिक्री सादिर फरमायी जाना आवश्यक है कि प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 द्वारा सरहद देवली पटवार हल्का देवली तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) के खाता संख्या 602 छह सौ दो मे आराजी नम्बर 539 रकबा 0.4299 हैक्टयर मे से पूर्वी मेड पर 0.0875 हैक्टयर पर मौका पर्चा मे वर्णितानुसार प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 द्वारा भूमि पर किये गये कब्जे को हटाकर पुनः वादीया को सिपुर्द कराया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। यह है कि वादीया को प्रतिवादीगण के विरूद्ध विनाय वाद दिनांक माह मार्च 2025 को कब्जा कर लेने व दिनांक 05 जून 2025 एवं दिनांक 20 अगस्त 2025 को कब्जा छोडने से इंकार कर देने से से उत्पन्न होकर निरन्तर रूप से जारी है। यह है कि वादग्रस्त आराजी सरहद देवली पटवार हल्का देवली तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) मे स्थित होने से यह दादपत्र आप न्यायालय के क्षेत्र एवं श्रवणाधिकार का होने से यह वादपत्र आप न्यायालय के समक्ष पेश है।

अतः वादीया सादर प्रार्थना करती है कि वादीया के पक्ष मे एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की कब्जेयाबी की डिकी सादिर फरमायी जाना आवश्यक है कि प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 द्वारा सरहद देवली पटवार हल्का देवली तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) के खाता संख्या 602 आराजी नम्बर 539 रकबा 0.4299 हैक्टयर मे से पूर्वी मेड पर 0.0875 हैक्टयर पर मौका पर्चा मे वर्णितानुसार प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 चार द्वारा भूमि पर किये गये कब्जे को हटाकर पुनः वादीया को सिपुर्द कराया जाने की कब्जेयाबी डिकी वादीया के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध सादिर फरमायी जावे।

वादी वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण ने अपनी एकतरफा साक्ष्य में स्वयं वादी श्रीमती कंकू देवी पत्नी श्री नारायण लाल जाति रेगर नि0 देवली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0) के शपथपत्र प्रस्तुत किये और दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी संवत 2075–2078 की प्रति, पत्थरगढ़ी प्रकरण सं. 156/2024 पारित आदेश दिनांकित 02–01–2025 की पालना में रेवेन्यू इन्स्पेक्टर व पटवारी हल्का ने दिनांक 05–06–2025 को वादग्रस्त आराजियात के मौके पर जाकर पर्चा मौका बनाये जिनकी प्रमाणित प्रतियां साक्ष्य में प्रस्तुत की गयी।

वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने बहस के दौरान बताया की वादी उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण ने जबरन कब्जा कर लिया गया है। इस कारण उक्त भूमि का कब्जा वादी को दिलाये जावे। मैने वकील वादी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन से स्पष्ट है की विवादित भूमि वादी के खाते चली आ रही है। उक्त भूमि के वादी खातेदार काश्तकार है। जिसकी ताईद प्रस्तुत जमाबन्दी नकल सम्वत् 2075–2078 से होती है। वादी के खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा मौके पर कब्जा कर लिया है। जिसकी ताईद प्रस्तुत पत्थरगढी मौका पर्चा से होती है। जिससे न्यायालय वादी के वाद पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझता है।

## –:: आदेश ::–

अतः वादी की ओर से प्रस्तुत किया गया राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत कब्जा दिलाये जाने हेतु स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 ने वादी की ग्राम देवली पटवार हल्का देवली भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बरडोद तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) मे आराजी नम्बर 539 रकबा 0.4299 है0 पर प्रतिवादी संख्या 01 से 04 का पूर्वी मेड के सहारे (87.5X10)मीटर अथवा 0.0875 है0 भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है उससे उसे बेदखल किया जाकर इस भूमि का कब्जा पुनः वादीगण को दिलाया जाने बाबत् बेदखली आराजियात की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जाती है ।

तहसीलदार हमीरगढ डिक्री अनुसार वादीगण को उक्त भूमि का कब्जा प्रतिवादी सं. 01 से 04 से दिलाया जाना सुनिश्चित करे। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे । निर्णय अनुसार डिक्री मुर्तिब की जावे । निर्णय दिनांक 07.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(झंवर लाल, आर.ए.एस )
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर हमीरगढ,
जिला भीलवाड़ा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर • हमीरगढ